SC29
5/9/014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2014

Ravi Kumar. ___**Petitioner**

Versus

The State of Bihar and ors. __**Respondents**

Sub:- Termination (School Service)

I N D E X

Sl No.	Particulars	Page No.
1.	A writ application with affidavit.	1 -18
2.	**Annexure-1** A true / photo copy of paper cutting of Hindustan daily dated 21.05.2014.	19
3.	**Annexure-2.** A true photo copy of the appointment letter dated 21.07.2014.	20
4.	**Annexure-3.** A true photo copy of joining application	21
5.	**Annexure-4.** A true photo copy of the order contained in memo no.236 dated 21.08.2014	22-27
6.	Vakalatnama	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. **of 2013**

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of.

Ravi Kumar, son of Kumod Prasad Singh, R/o Village - Jaluwar, P.S. - Gamharia, District - Madhepura.

------ **Petitioner.**

Versus

1. The state of Bihar through Principal Secretary, Human Resources Department, Govt. of Bihar

2. The Director, Primary Education Department Govt. of Bihar, Patna.
3. The District Magistrate Madhepura.
4. The District Education Officer, Madhepura.
5. The District Programme Officer Establishment Madhepura
6. The Block Development Officer Shankarpur District - Madhepura.
7. The Block Education Officer Shankarpur Madhepura.
8. The Mukhia, Gram Panchayat Maura Kawiyahi Block - Shankarpur, District - Madhepura.
9. The Panchayat Secretary Gram Panchayat Maura Kawiyahi, Block - Shankarpur District - Madhepura.
10. Rajiv Ranjan, son of Shatrudhan Prasad Yadav, resident of Village Jhokayar, P.S. - Pipra, District - Supaul.

------ **Respondents**

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named;

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this is an application for issuance of a writ in the nature of certiorari for quashing the order contained in memo no.236 dated 21.08.2014 passed by the District Magistrate Madhepura (Annexure-4) by which Niyojan of Panchayat Sikshak including the selection of petitioner on the post of panchayat Shikshak by the Niyojan unit of Gram Panchayat Maura Kawiyahi held on 21.07.2014 in the camp organized at middle

school Shankaspur has been cancelled and directed the concerned Niyojan unit to hold afresh Niyojan on 08.09.2014 and further to issue a writ of Mandamus directing the respondents to reinstate the petitioner on the post of Panchayat Sikshak as the order impugned passed by the respondent District Magistrate is illegal and without jurisdiction.

2. That the only question for adjudication before this Hon'ble Court is as to whether under Bihar Panchayat Primary Teachers (Employment and service condition) Rules 2012 herein after referred to as 'Rule 2012' the district Magistrate is empowered or has jurisdiction to cancel the duly appointed panchayt Sikshak or not?.

3. That the petitioner is citizen of India and resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the petitioner passed / qualified the Bihar Elementary Teacher Eligibility test (BETET) 2011 with having 72% marks.

5. That it is pertinent to state here that after coming into force of 2012 Rules, the candidates who qualified in the TET were entitled for employment to Niyojit teacher.

6. That thus after declaration of result of Bihar Elementary Teacher Eligibility Test (BETET)- 2011 on 14.05.2012, the process for Nijojan of Panchayt Sikshak Block Shishka initiated phased wise in whole of the Bihar as per the date fixed by the Human Resources Department Govt. of Bihar.

7. That by the end of 2013 three phases of selection of panchayat teacher have all ready been done and in those selection process some anomalies were found and as such for further Niyojan, Bihar Panchayat

Elementary Teacher (Amendment) rules 2014 came into force by the Govt. Notification dated 23.01.2014 and further by the Govt. notification dated 24.01.2014 is was decided by Niyojan of Teacher in Primary school by holding camp and accordingly the further phase of Niyojan of panchayat teacher was held by organizing camp.

8. That subsequently from the Govt. level the date of last and fifth phase of Niyojan of teachers of primary and higher secondary level school was announced to be held from 16th may to 12th August by holding camp. In this regard District wise date fixed for Niyojan of teachers and as per which the Niyojan for Panchayat teachers Block Teachers for Madhepura District was fixed on 21.07.2014.

A true / photo copy of paper cutting of

Hindustan daily dated 21.05.2014 is annexed as Annexure-1 to this writ petition.

9. That thereafter as scheduled on 21.07.2014 the camp was organized at middle school Shankarpur, the Block Headquarter for holding Niyojan of Panchayat teacher by the Niyojan unit of Maura Kawiyahi Gram Panchayat where five panchayt teachers in man category (UR-3, BC-1, EBC-1) had to be appointed.

10. That further in the camp so organized the Niyojan unit as per amended rules and guidelines 2014 and subsequent guidelines issued by the Education Department Govt. of Bihar the name of each candidates as per merit list was called on thrice and then as per the criteria who shown his presence and produced the TET Marks sheet and other certificates have been selected against the

vacancies as per merit list. It is relevant to state here as per prescribed rules and following the all required criteria the Niyojan unit Maura Kawiyahi selected the petitioner on the post of Panchayat Shikshak against unreserved category and immediately thereafter appointment letter was given to him by the panchayat secretary cum secretary panchayt teacher Niyojan unit Maura Kawiyahi Shankarpur vide memo no.5 dated 21.07.2014 asking to join in primary school Kawiyahi within period of 30 days.

A true photo copy of the appointment letter dated 21.07.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ application.

11. That thereafter on 26.07.2014 the petitioner gave his joining to the headmaster

of primary school Kawiyahi who accepted his joining and then he started to discharge his duty of teaching in the said school.

A true photo copy of joining application is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this writ application.

12. That mean while on 31.07.2014 one Rajeev Ranjan respondent no.10 filed complaint petition in the Janta Darbar of the District Magistrate Madhepura complaining that in spite of his selection on 21.07.2014 by the Niyojan unit of Maura Kawiyahi Gram Panchayat Niyojan Letter was not issued to him.

13. That the aforesaid complaint filed by the Rajeev Ranjan was registered as Janta Darbar application no.3471 dated 31.07.2014

and thereafter the District Magistrate Madhepura directed the District Programme Officer (Sec. Education) madhepura for holding enquiry of the allegation and in pursuance of that District Programme officer made enquiry of the allegation and submitted the report to the undersigns vide letter no.178 dated 13.08.2014 holding the allegation alleged to be baseless.

14. That subsequently the District Magistrate Madhepura after being not satisfied with the said report called the all concerned parties and also the releated records and there after passed the impugned order dated 21.08.2014 by which the entire Niyojan of panchayat sikshash including the selection of petitioner on the post of Panchayt Shikshak, held on 21.07.2014 by the Niyojan unit of Gram Panchayat Maura Kawiyahi has been cancelled and directed the

authorities concerned to make afresh selection by holding camp on 08.09.2014.

A true photo copy of the order contained in memo no.236 dated 21.08.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this writ application.

15. That it is submitted that under Bihar Panchayat primary teacher (employment services condition) Rule 2012 as well as amended rules 2014 the power to hear the complaint against Niyojit teacher is vested to District Appellate Tribunal and District Magistrate is not empowered to cancel the appointment of duly appointed Panchayat Shikshak and hence the order impugned passed by the District Magistrate cancelling the appointment of petitioner from the post of

Panchayt teacher is illegal and without jurisdiction.

16. That as per amended guidelines 2014 for 5th phase selection of panchayt / Block teachers the provision made for thrich calling the name of candidates as per merit list by the Niyojan unit and even after three times of calling the name the concerned candidate does not appear then his canditatiour will not be considered and thereafter the next candidate in the merit list will be called on.

17. That in the instant case the complainant Rajeev Ranjan respondent no.10 in spite of three calls didn't appear before the Niyojan unit and at the last moment when the candidates have already been selected then he appeared before the Niyojan unit asking that he has higher marks than the candidate selected. It is relevant to state here that

although the complainant was not eligible however the niyojan unit asked him to submit the TET marks sheet as well as all required certificate but the complainant produced only TET marks and other certificate have not been produced before the Niyojan unit and only because of that the Niyojan letter was not given to him.

18. That thus from the aforesaid facts it is quite evident that as alleged in the complaint Niyojan unit has committed no illegality if niyojan letter was not issued to the complainant.

19. That it is humbly submitted that the Niyojan unit of Maura Kawiyahi has committed not illegility in selection process. The petitioner and other candidate participated in the counseling have already made these signature in the counselling register and if any procedural defect found during enquiry

then for this official mistakes the petitioner can not be held responsible.

20. That other wise also al the concerned staffs were subordinates to the District Magistrate and the entire enquiry and the impguend order passed on the petition made in the Jantadarbar and on such petitioner the due released of candidate cannot be cancelled.

21. That further direction made in the impugned order by the respondent District Magistrate fixing next date of counseling on 08.09.2014 is also without jurisdiction as the said power is vested to the Education Department Govt. of Bihar.

22. That one date was fixed District wise only because one candidate may not participate in other place of counseling but fixed on the new date there will no counseling on any other place so candidates

from different place will come there and thus the indecafisible right of further appointment of petitioner will automatically vanished.

23. That all the original certificate of petitioner have been impounded by the respondents and in that view of the fact also now in next councellion held on 08.09.2014 he cannot participate.

24. That in the aforesaid facts circumstances it is quite apparent that the impugned order passed by the District Magistrate is illegal and without jurisdiction and hence the interference of this Hon'ble Court is extramently warranted to grant the relief as prayed for in this writ application.

25. That the petitioner has been duly selected and appointed on the post of Panchayat Shikshak but the illegal

cancellation of his appointment by the imgpuned order has ruin his future carrier and hence in that view of the fact also the interference of this Hon'ble Court is warranted.

26. That the petitioner has got no efficacious and alternative remedy than to invoke the extra ordinary writ jurisdiction of this Hon'ble Court.

27. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court for the reliefs as prayed for in this writ application.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to admit this application issue notice to the respondent and after hearing the parties be

further pleased to grant the reliefs as prayed for in this writ petition.

And

During pendency of this writ application the operation of the impugned order (Annexure-4) may kindly be stayed.

And / or

Pass such other order or orders as your lordships may dim fit and proper in the facts and circumstanced the case.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I **Ravi Kumar**, aged about 24 years, son of Kumod Prasad Singh, R/o Village - Jaluwar, P.S. - Gamharia, District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and say as follows :-

1. That I am petitioner in the case and as such am as well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of this application which I have fully understood the same statement made in paragraph no. 3, 4, 5 to 7, 9, 11, 13, 26, 27, are true to my knowledge and those made in paragraph nos. 8, 10, 12, 14, 15. are true to my information derived from the records of the case and rest are by way of submission to this Hon'ble Court.
3. That the annexure are photo / true copies of their respective originals.

Ravi Kumar

ANNEXURE - 1

19

राजकाज

संसदीय चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी जदयू, राजद और कांग्रेस में व्यक्ति पूजा का दौर जारी है। -भाजपा

अंतिम मौका: राज्य में प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन कैंप 26 से 12 अगस्त तक

1.33 लाख शिक्षकों का होगा नियोजन

हिन्दुस्तान जॉब्स

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य में प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन के लिए 26 मई से राज्य के सभी जिलों में कैंप लगेंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक, राजकीय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संशोधित शिक्षक नियोजन नियमावली, 2014 के अनुसार शिक्षकों का नियोजन होगा। राज्य में 1.33 लाख शिक्षकों का नियोजन होना है।

मंगलवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस में श्री सिन्हा ने बताया कि यह पांचवां व अंतिम नियोजन कैंप होगा। प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा कोटिवार रिक्ति व मेधा सूची कैंप की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व प्रकाशित करनी होगी। नियोजन इकाइयां मेधा सूची, कोटिवार एवं विषयवार रिक्त पदों की सूचना एवं कैंप स्थल की सूचना जिला के एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड करेंगी। वैसे पद को भी रिक्त माना जाएगा, जिसे अभ्यर्थी छोड़ दूसरी नियोजन इकाई में ज्वाइन कर लिया हो।

इन बातों का रखें ध्यान

- नियोजन कैंप में उम्मीदवारों को शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के साथ टीईटी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।
- सुबह 10.30 से शाम 4.30 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा।

कहां लगेगा कैंप

नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं प्रखंड नियोजन इकाई का कैंप जिला स्तर पर एवं पंचायत नियोजन इकाई का कैंप प्रखंड मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

नगर शिक्षकों के लिए (सभी नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत स्नातक एवं बेसिक ग्रेड)

02.07.2014: पटना, बांका, किशनगंज, सीवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चंपारण, रोहतास
14.07.2014 : नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा, वैशाली
24.07.2014 : गया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, कटिहार, अरवल, समस्तीपुर, सारण व नवादा
04.08.2014: पूर्णिया, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय व जमुई

प्रखंड शिक्षक के लिए (स्नातक ग्रेड प्रखंड शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए)

04.07.2014: पटना, किशनगंज, बांका, सीवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चंपारण, रोहतास
16.07.2014: नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा, वैशाली
26.07.2014: गया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, कटिहार, अरवल, समस्तीपुर, सारण व नवादा
06.08.20143 पूर्णिया, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय व जमुई

बेसिक ग्रेड प्रखंड शिक्षक (एक से पांच के लिए)

07.07.2014: पटना, किशनगंज, बांका, सीवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चंपारण, रोहतास
18.07.2014 : नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा, वैशाली
28.07.2014 : गया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, कटिहार, अरवल, समस्तीपुर, सारण व नवादा
08.08.2014 : पूर्णिया, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय व जमुई

उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति

नगर निकाय के तहत उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन 26 मई से 30 मई तक और जिला परिषद के तहत 28 मई से दो मई तक पटना, किशनगंज, बांका, मधुबनी, सीवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पं चंपारण व रोहतास में होगा। वहीं नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा व वैशाली में नगर निकाय के तहत उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन चार से नौ अगस्त तक तथा जिला परिषद के तहत छह से 11 अगस्त तक नियोजन होगा।

पंचायत शिक्षक के लिए आयोजक (अंग्रेजी वर्णमाल के अनुसार प्रथम 50 प्रतिशत पंचायत) प्रखंड स्तर पर

09.07.2014: पटना, किशनगंज बांका, सीवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चंपारण, रोहतास
21.07.2014: नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा, वैशाली
30.07.2014: गया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, कटिहार, अरवल, समस्तीपुर, सारण व नवादा
11.08.2014: पूर्णिया, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय व जमुई

कैंप तिथि आयोजक (अंग्रेजी वर्णमाल के अनुसार शेष 50 प्रतिशत पंचायत) प्रखंड स्तर पर

11.07.2014: पटना, किशनगंज, बांका, सीवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चंपारण, रोहतास
23.07.2014: नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा, वैशाली
01.08.2014: गया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, कटिहार, अरवल, समस्तीपुर, सारण व नवादा
12.08.2014: पूर्णिया, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय व जमुई

12 हजार वैकेंसी निकलेगी इस माह के अंत तक

हिन्दुस्तान जॉब्स

पटना | शशिभूषण

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) इस माह के अंत तक स्नातक और इंटरमीडिएट स्तर के लगभग 12 हजार वैकेंसी निकालेगा। इसमें सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट स्तर पर राजस्व कर्मचारी के 4353 और पंचायत सचिव के 3161 पद हैं। वहीं स्नातक स्तर पर सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर के 1140 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी।

आयोग को भेजीं रिक्तियां

इस संबंध में अधिकतर विभागों ने आयोग को रिक्तियां भेज दी है। सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग से सहायक की रिक्ति नहीं आई है। आयोग के सचिव एससी वर्मा के अनुसार इस माह के अंत तक विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। अंतिम रिक्ति की सूची तैयार होने तक पदों की संख्या में फेरबदल हो सकता है। बीएसएससी से जुड़े लोगों का कहना है कि हाल के वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी बहाली निकलेगी। पिछली बार सबसे बड़ी बहाली सचिवालय सहायक की तीन हजार पदों के लिए निकली थी।

नौकरी

- साढ़े सात हजार राजस्व कर्मचारी व पंचायत सचिव की होगी बहाली
- इंटरमीडिएट स्तर पर 9 हजार व स्नातक के लिए 3 हजार वैकेंसी

इन पदों पर होगी बहाली

पद	रिक्ति
राजस्व कर्मचारी	4353
पंचायत सचिव	3161
सब इंस्पेक्टर	1140
वनरक्षी	693
सार्जेंट	214
कंपनी कमांडर	121
सहायक कारापाल	89

तकनीकी पदों में हो सकती है देर

इंटरमीडिएट स्तर पर तकनीकी पदों के लिए भी बहाली होनी है। अभी इसमें देर हो सकती है। इन पदों पर बहाली के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा गया है। तकनीकी पदों में स्वास्थ्य विभाग से प्रयोगशाला प्रावैधिकी के 1680, शल्य कक्ष सहायक के 362 और एक्स-रे टेक्नीशियन की 73 रिक्तियां हैं। यदि इन पदों को मिला दें, तो कुल वैकेंसी 15 हजार हो जाएगा।

राजधानी

राज्यों में होगा बिहार महोत्सव

पटना। बिहार अपने प्रदेश की खूबियों और सांस्कृतिक धरोहरों के ब्रांडिंग का सिलसिला जारी रखेगा। राज्य सरकार के कला संस्कृति विभाग ने इस साल भी देश के दो राज्यों में बिहार महोत्सव आयोजित करने का फैसला किया है। पहले से तय समारोह जो चुनाव की वजह से पिछड़ गए थे, उनके आयोजनों पर भी शीघ्र निर्णय होगा। इनमें आरा और पटना में होने वाले राज्य नाट्य समारोह प्रमुख हैं।

बदलेगी हिंगोरा अपहरण की जांच टीम

पटना। सोहेल हिंगोरा अपहरण कांड की तफ्तीश में जुटी सीआईडी की टीम में कई नए पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। टीम में पहले से मौजूद कई अधिकारियों के प्रोन्नति व तबादले के चलते इसे नए सिरे से गठित किया जाएगा। एक-दो दिनों में सीआईडी के आला अधिकारी नई टीम को मूर्त रूप देंगे।

ANNEXUERE - 2 20

पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत..मौरा कवियाही

– सह –

सचिव, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, मौरा कवियाही

अभ्यार्थी का नाम :- रवि कुमार

पिता/पति का नाम :- प्रमोद प्रसाद सिंह

विषय :- ....

आपको सूचित किया जाता है कि अंतिम पंचायत शिक्षक नियोजन 20.. **नियमावली** के अधीन ग्राम पंचायत में मौरा कवियाही में वर्ग 1 से 5 के लि.. **चयनोपरांत कोटि** (सामान्य कोटि) पर में नियत मानदेय 9000/10000 रुपया (अप्रशिक्षित/प्रशिक्षित) प्रतिमाह के दर से प्रा० वि० कवियाही में नियोजित किया गया है। पत्र निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर योगदान नहीं देने पर आपका दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

योगदान के समय अभ्यर्थी असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, नियोजन से संबंधित सभी मूल प्रमाण–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति अवश्य जमा करेंगे।

संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निदेश दिया जाता है कि वे स.. प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र से मिलान कर स्वंय अभिप्रमाणित करते हुए मूल प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी को वापस कर देंगे।

अभ्यर्थी को यह भी निदेश दिया जाता है कि यदि किसी स्तर पर कागजात की जाँच के क्रम में गड़बड़ी पायी जाती है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होगी एवं नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए नियोजन इकाई स्वतंत्र होगी। योगदान के पश्चात अभ्यर्थी इसकी सूचना नियोजन इकाई को भी देना सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 21.07.2014

पंचायत सचिव,
– सह –
सचिव,पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई,
मौरा कवियाही,शंकरपुर।

ज्ञापांक......05......../,मौरा कवियाही, दिनांक 21/07/2014

प्रतिलिपि :- संबंधित अभ्यर्थी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.07.2014

पंचायत सचिव,
– सह –
सचिव,पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई,
मौरा कवियाही,शंकरपुर।

T.C. of Annexure - 02

पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत मौराकवियाही

– सह –

सचिव, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई मौराकवियाही

अभ्यार्थी का नाम – रवि कुमार

पिता का नाम – कुमोद प्रसाद सिंह

आपको सूचित किया जाता है कि अंतिम पंचायत शिक्षक नियोजन 2012 नियमावली के अधीन ग्राम पंचायत में मौरा कवियाही में वर्ग 1 से 5 के लिए चयनोपरांत कोटि सामान्य कोटि UR में नियम मानदेय 9000/10000 रूपया अप्रशिक्षित प्रतिमाह के दर से प्र0वि0 कवियाही में नियोजित किया गया है। पत्र निर्गत तिथि तिथि से 30 दिनों के अन्दर योगदान नही देने पर आपका दावा स्वयं समाप्त हो जायेगा।

योगदान के समय अभ्यर्थी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र नियोजन से संबंधित सभी मूल प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति अवश्य जमा करेंगें।

संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को निदेश दिया जाता है कि सभी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति मूल प्रमाण–पत्र से मिलान कर स्वयं अभिप्रमाणित करते हुए मूल प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी को वापस कर देगें।

अभ्यर्थी को यह भी निदेश दिया जाता है कि यदि किसी स्तर पर कागजात की जांच के कम में गड़बड़ी पायी जाती है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होगी एक नियमानुसार कारवाई करने के लिए नियोजन इकाई स्वतंत्र होगी। योगदान के पश्चात अभ्यर्थी इसकी सूचना नियोजन इकाई को भी देना सुनिश्चित करेगें

पंचायत सचिव,
सह
सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई
मौरा कवियाही, शंकरपुर

ज्ञापांक 05 मौरा कवियाही, दिनांक 21.07.2014

प्रतिलिपि :– संबंधित अभ्यर्थी / संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

पंचायत सचिव,
सह
सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई
मौरा कवियाही, शंकरपुर

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय
प्राथमिक विद्यालय - कवियाही
प्रखंड - शंकरपुर, जिला - मधेपुरा

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि पंचायत कार्यालय - मौरा - कवियाही के ज्ञापांक - 05 दिनांक :- 21-07-2014 के आलोक में पंचायत शिक्षक पद हेतु मेरा नियोजन आपके विद्यालय में किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में मैं अपना योगदान आज दिनांक :- 26-07-2014 के पूर्वाह्न में दे रहा हूँ।

योगदान स्वीकृत
(हस्ताक्षर) 26.07.2014
(संजय कुमार यादव)
प्रधानाध्यापक
प्रा. वि. कवियाही
प्रखंड- शंकरपुर (मधेपुरा)

अतः श्रीमान से सनिवेदन है कि उक्त बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मेरा योगदान स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्रीमान का विश्वासभाजन
Ravi Kumar
26/07/2014

प्राथमिक विद्यालय कवियाही
प्रखंड - शंकरपुर
जिला - मधेपुरा

T.C of Annexure - 03

सेवा में,

श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय
प्राथमिक विधालय कवियाही
प्रखंड शंकरपुर, जिला – मधेपुरा

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि पंचायत कार्यालय मौरा कवियाही के ज्ञापांक 05 दिनांक 21.7.2014 के आलोक में पंचायत शिक्षक पद हेतु मेरा नियोजन आपके विधालय में किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में मै अपना योगदान आज दिनांक 26.07.2014 के पूर्वाहन में दे रहा हूँ।

अतः श्रीमान् से सनिवेदन है कि उक्त बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मरेा योगदान स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्रीमान् का विश्वासभाजन
Ravi Kumar
26.07.2014
प्राथमिक विधालय कवियाही
प्रखंड शंकरपुर
जिला मधेपुरा

ANNEXURE - 4 (22)

समाहरणालय, मधेपुरा
(जन शिकायत कोषांग-सह-जनता दरबार)
-: आदेश :-

श्री राजीव रंजन पिता श्री शत्रुघ्न प्र0 यादव, ग्राम झोकायर, पो0 गेल्हिया, थाना पिपरा, जिला सुपौल ने दिनांक 31.07.2014 को जिला जनता दरबार में उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी को परिवाद आवेदन दाखिल किया गया, जिसका जनता दरबार आवेदन सं0-3471 दिनांक 31.07.2014 पंजीकृत है। इन्होंने परिवाद पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि दिनांक 21.07.2014 को ग्राम पंचायत मौरा कवियाही, प्रखंड शंकरपुर में आयोजित पंचायत शिक्षक नियोजन 2012-13 के नियोजन शिविर में पंचायत शिक्षक पद पर चयन होने, मूल टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र नियोजन ईकाई द्वारा जमा ले लिए जाने एवं नियोजन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवा लिए जाने के वावजूद नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संदर्भ में दिनांक 24.07.2014 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर से लिखित शिकायत की गई, परन्तु आवेदन लेने से इन्कार कर गए। दिनांक 26.07.2014 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर के निदेशानुसार ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत सचिव से मिलने पर अवैध राशि की मांग की गई। तत्पश्चात् उसी दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सारी वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई। उनके निदेश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), मधेपुरा को लिखित आवेदन दिया गया। पुनः दिनांक 30.07.2014 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर से सम्पर्क करने पर आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया परन्तु वे आवेदन लेने से इन्कार कर दिए। सभी स्तरों पर इसका निराकरण नहीं हो पाने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है।

उपस्थित परिवादी का कथन एवं आवेदन में वर्णित तथ्य प्रथम दृष्टया नियोजन ईकाई द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजज में अनियमितता बरते जाने को परिलक्षित करता है। उक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए जनता दरवार में उपस्थित श्री दिनेश्वर मिश्र, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), मधेपुरा को तथ्यगत स्थिति से संबंधित सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0), मधेपुरा के पत्रांक 178(उच्च) दिनांक 13.08.2014 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि " ग्राम पंचायत मौरा कवियाही में दिनांक 21.07.2014 को नियोजन कैम्प में किये गये नियोजन को पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत काउन्सिलिंग पंजी में श्री राजीव रंजन का कहीं हस्ताक्षरी नहीं पाया गया। काउन्सिलिंग पंजी दिनांक 21.07.2014 को ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर के द्वारा क्लोज किया गया है। जबकि आवेदक द्वारा बताया जा रहा है कि चयन होने के उपरान्त पंजी में हस्ताक्षर करवाया गया। जबकि यह काउन्सिलिंग पंजी 11.02.2014 से शुरू है और इस काउन्सिलिंग पंजी में आवेदक राजीव रंजन का कहीं हस्ताक्षर नहीं है और पंजी दिनांक

21-07-2014 को ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर के द्वारा क्लोज किया गया है एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर के द्वारा बताया गया कि नियोजन स्थल कैम्प पर पूरे दिन मौजूद था और अभ्यर्थी द्वारा मुझसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गयी। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक के द्वारा आवेदन में लगाये गए आरोप निराधार प्रतीत होता है।"

जाँच प्रतिवेदन, जाँच के कम में उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर/ पंचायत सचिव श्री बालेश्वर मंडल, परिवादकर्त्ता श्री राजीव रंजन का लिखित बयान एवं संलग्न साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पंचायत सचिव एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिखित बयान में भिन्नता पायी गयी। कॉउन्सिलिंग पंजी की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी सदस्यों द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में "close" अंकित कर अपना हस्ताक्षर किए हैं। परन्तु अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कॉलम में किसी भी अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अंकित नहीं पाया गया। बैठक कार्यवाही पंजी की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि नियोजन ईकाई के पाँच सदस्यों में से केवल तीन सदस्य ही प्रायः उपस्थिति दर्ज की है। शेष दो यथा मनोनित शिक्षक एवं पंयात समिति सदस्य का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इन सदस्यों को कॉउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अनुरोध पत्र निर्गत किया गया है अथवा नहीं का कोई साक्ष्य जाँच प्रतिवेदन में संलग्न नहीं पाया गया। इन सभी पहलुओं पर सम्यक गौर करने से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी द्वारा केवल खानापूरी की है एवं आवेदन में अंकित तथ्यों का कंडिकावार जाँच नहीं किया है। इस तरह उक्त जाँच प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामले को गहराई से छानबीन करने एवं कारगर कदम उठाने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखित परिपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी के आवासीय कार्यालय ज्ञापांक 2249/गो0, दिनांक 14-08-2014 के द्वारा नियोजन ईकाई से संबंधित पक्षों यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर/ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर/ मुखिया, ग्राम पंचायत मौरा कवियाही/ पंचायत सचिव, मौरा कवियाही एवं कॉउन्सिलिंग में भाग लिये सभी अभ्यर्थीगण को नोटिस जारी कर शिक्षक नियोजन नियमावली, अपनायी गई प्रक्रिया से संबंधित मूल अभिलेख, कागजात, सी0डी0, कॉउन्सिलिंग पंजी, बैठक कार्यवाही पंजी एवं अन्य साक्ष्य के साथ अपना-अपना स्पष्टीकरण दिनांक 21.08.2014 को 10:30 बजे पूर्वा0 में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित होनेवाले जनता दरवार में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। साथ ही नोटिस का तामिला प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर के माध्यम से प्राप्त करने का भी निदेश दिया गया। निर्धारित तिथि दिनांक 21.08.2014 को आयोजित जनता दरवार में उल्लेखि तमामले पर सुनवाई के समय (1) श्रीमती निभा देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत मौरा कवियाही (2) श्री बालेश्वर मंडल, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मौरा कवियाही (3) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर (4) प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर (5) अभ्यर्थी श्री राज कुमार चौधरी (6) अभ्यर्थी श्री भूपेन्द्र मंडल (7)

अभ्यर्थी श्री रमण कुमार (8) अभ्यर्थी श्री रवि कुमार (9) अभ्यर्थी श्री अमरेन्द्र कुमार तथा परिवादकर्त्ता उपस्थित हुए। इन सबों से जनता दरबार में ही लिखित एवं मौखिक बयान लिया गया, जो निम्नवत है :-

(1) श्री बालेश्वर मंडल, पंचायत सचिव से पृच्छा की गई कि श्री राजीव रंजन(परिवादकर्त्ता) का चयन नियोजन ईकाई द्वारा कर लिया गया एवं नियोजन पत्र हेतु दिनांक 23-07-2014 को बुलाया गया था, तो किस परिस्थिति में नियोजन पत्र नहीं दिया। उक्त पृच्छा के जबाव में बताया गया कि दिनांक 21.07.2014 को 3:00 बजे अप० तक परिवादकर्त्ता द्वारा BETET का अंक पत्र दिखाया गया, परन्तु शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया। फलस्वरूप वरीयता कम के आगे वाले कमांक का चयन किया गया। जबकि परिवादकर्त्ता का आरोप है कि उन्हें दिनांक 23-07-2014 को नियोजन पत्र के लिए बुलाया गया था, परन्तु नियोजन पत्र नहीं दिया गया। पंचायत सचिव के बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि उन्हें BETET का अंक पत्र उपलब्ध कराया गया है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र की मांग नहीं की गई थी और न ही मूल प्रमाण पत्र उपस्थापित करने संबंधी निर्गत पत्र का साक्ष्य ही समर्पित किया है। इसलिए पंचायत सचिव का बयान भ्रामक, तथ्य से परे एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

(2) श्रीमती निभा देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत मौरा कवियाही से उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में पृच्छा करने पर पंचायत सचिव द्वारा कथित कथन का समर्थन करते हुए मात्र इतना ही बताया गया कि परिवादकर्त्ता दिनांक 21.07.2014 को 3:00 बजे अप0 तक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया। लेकिन इस बात को स्वीकार की कि उन्होंने BETET का अंक पत्र दिखाया था। फलस्वरूप मेधा सूची के वरीयता कम वाले कमांक के अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया। यह पूछे जाने पर की मूल प्रमाण दिखाने हेतु योग्य अभ्यर्थी को सूचना निर्गत किया गया था या नहीं, तो उसके जबाब में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकी। इससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि उक्त शिक्षक नियोजन में अनियमितता बरतने के लिए इनकी भी सहभागिता है।

(3) प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर से पृच्छा की गयी कि परिवादकर्त्ता द्वारा नियोजन पत्र नहीं मिलने के संबंध में दिनांक 24.07.2014 को लिखित आवेदन दिया गया और फिर दिनांक 26.07.2014 को भी इसी संबंध में अनुरोध किया गया तो आपके द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई। उक्त पृच्छा के कम में बताया गया कि दिनांक 30-07-2014 को एक लिखित परिवाद पत्र दिया था, जिसके आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 1308-2 दिनांक 30-07-2014 के द्वारा श्री बालेश्वर मंडल, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मौरा कवियाही को निदेशित किया

गया कि उक्त अभ्यर्थी को नियोजन पत्र हस्तगत कराते हुए स्पष्ट करें कि आपने किस परिस्थिति में अबतक योग्य अभ्यर्थी को नियोजन पत्र नहीं दिया है, संबंधी कारण पृच्छा की गई। पंचायत सचिव ने अपने पत्रांक 08 दिनांक 04-08-2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि परिवादकर्त्ता द्वारा 3:00 बजे अप0 तक अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र नहीं दिखाए जाने के कारण आगे के अभ्यर्थी का चयन किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने पंचायत सचिव के प्रतिवेदन को ही आधार मानकर आगे की कार्रवाई नहीं की गई है, जो खेद की बात है। जबकि उन्हें सभी तथ्यों पर जाँच कर समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

(4) जनता दरवार में उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.07.2014 को म0वि0शंकरपुर में उपस्थित थे, जहाँ पाँच पंचायत ईकाई का नियोजन हो रहा था, परन्तु नियोजन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई समस्या उनके समक्ष नहीं रखा। उनसे यह पृच्छा किए जाने पर कि परिवादकर्त्ता द्वारा दिनांक 24.07.2014 को शिकायत आवेदन आपके पास ले गये थे, तो आवेदन का प्राप्ति रसीद मांगने पर आपने आवेदन पत्र लेने से इन्कार कर दिया, के जबात में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। उपलब्ध कराए गए काउन्सिलिंग पंजी एवं बैठक कार्यवाही पंजी की छायाप्रति अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त दोनों पंजियों पर पर्यवेक्षीय पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इनका यह भी कहना है कि वे नियोजन के समय शिविर में उपस्थित थे, तो फिर इस तरह की समस्या क्यों उत्पन्न हुई। उपस्थित रहने की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर सके और न ही उपस्थित रहकर सही ढंग से पर्यवेक्षण ही किया है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि पर्यवेक्षीय पदाधिकारी होने के नाते प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया है, जो कर्त्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

(5) सुनवाई के समय अभ्यर्थी श्री राज कुमार चौधरी, श्री भूपेन्द्र मंडल, श्री रमण कुमार, श्री रवि कुमार एवं श्री अमरेन्द्र कुमार उपस्थित हुए, जिन्होंने स्वीकार किया है कि दिनांक 21.07.2014 को 3:00 बजे तक सभी प्रमाण पत्रों की जाँच की गयी एवं 3:30 बजे अप0 तक नियोजन पत्र निर्गत किया गया। नियोजन पत्र लेकर घर चले गए। सभी का बयान मिलान करने पर पाया गया कि एक-दूसरे के समान है। स्पष्ट है कि उक्त बयान सुनियोजित ढंग से तैयार किया गया है, जो नियोजन प्रक्रिया में अपनाई गई अनियमितता को उजागर करता है।

सुनवाई के दौरान जनता दरवार में उपस्थित श्री विनायक पांडेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), मधेपुरा से पंचायत शिक्षक नियोजन के संदर्भ में पूछे जाने पर बताया गया कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 608 दिनांक 20-05-2014 द्वारा निर्गत नियमावली में अंकित प्रक्रिया/ शर्त्तो के अनुरूप पंचायत

शिक्षक नियोजन ईकाई द्वारा पूर्णरूपेण अनदेखी की गई है। कोई प्रक्रियात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार उपलब्ध हैं। इसलिए किए गए नियोजन को रद्द करने पर निर्णय लिया जा सकता है।

अतः सभी पक्षों को सुनने, नियोजन से संबंधित मूल अभिलेख, कॉउन्सिलिंग पंजी, बैठक कार्यवाही पंजी, विडियोग्राफी कराए गए छायांकन का गहन समीक्षा करने के उपरान्त पंचायत शिक्षक नियोजन नियमावली में निर्धारित नियोजन ईकाई के कर्त्तव्य एवं दायित्व का अवलोकन करने पर दिनांक 21-07-2014 को मध्य विद्यालय, शंकरपुर में आयोजित नियोजन ईकाई, ग्राम पंचायत मौरा कवियाही द्वारा परिवादकर्त्ता के अभ्यर्थिता की अनदेखी की गई है और जान-बूझकर अनैतिक लाभ नहीं दिए जाने के कारण नियोजन पत्र नहीं निर्गत किया है, जिसकी पुष्टि प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, शंकरपुर के स्वीकारोक्ति बयान से होता है। कॉउन्सिलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी से कॉउन्सिलिंग पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किया जाना, अपने आप में अनियमतता को पुष्ट करता है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में नियोजन ईकाई द्वारा बरती गई अनियमितता के आलोक में ग्राम पंचायत मौरा कवियाही में किए गए शिक्षक नियोजन को रद्द किया जाता है एवं नियोजन ईकाई को निदेश दिया जाता है कि वे नये सिरे से दिनांक 08-09-2014 को 10:30 बजे पूर्वा0 से 4:30 बजे अप0 तक नियोजन ईकाई की बैठक आहुत कर नियमानुसार नियोजन की प्रकिया पूर्ण करेंगे। इससे जुड़े सभी अभ्यर्थियों को निबंधित डाक से कॉउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु सूचना भी निर्गत करेंगे तथा सम्पूर्ण प्रकिया का विडियोग्राफी के साथ-साथ व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर से पर्यवेक्षक के रूप में श्री विनायक पांडेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधेपुरा की प्रतिनियुक्ति की जाती है तथा उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर नियमावली के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न कराते हुए तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

श्री बालेश्वर मंडल, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मौरा कवियाही एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ नियोजन प्रक्रियात्मक कार्रवाई में संलिप्त पाया गया है। इसलिए इन दोनों (कर्मी/ पदा0) के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करने का निर्णय लिया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कर्मी/ पदा0 से दो दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रपत्र "क" में आरोप पत्र गठित कर एक सप्ताह के अन्दर उचित माध्यम से प्रस्ताव भेजें ताकि अनुवर्त्ती कार्रवाई की जा सके। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि इस संदर्भ में श्रीमती निभा देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत मौरा कवियाही से भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने

मंतव्य के साथ भेजें कि क्यों नहीं उन्हें पदच्युत करने के लिए सरकार को अनुशंसा भेज दी जाय।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0 21/08/15
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 236 /ज0द0, मधेपुरा, दिनांक 21.8.15

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर/ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शंकरपुर/ श्री बालेश्वर मंडल, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, मौरा कवियाही/ श्रीमती निभा देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत, मौरा कवियाही, प्रखंड शंकरपुर/ श्री राजीव रंजन पे0 श्री शत्रुघ्न प्रसाद यादव, ग्राम झोकायर, पो0 गेल्हिया, थाना पिपरा, जिला सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री विनायक पांडेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सदृश्य अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 21/08/15
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2013

Ravi Kumar. **___Petitioner**

Versus

The State of Bihar and ors. __Respondents

Synopsis

Relief:-

For issuance of a writ in the nature of certiorari for quashing the order contained in memo no.236 dated 21.08.2014 passed by the District Magistrate Madhepura (Annexure-4) by which Niyojan of Panchayat Sikshak including the selection of petitioner on the post of panchayat Shikshak by the Niyojan unit of Gram Panchayat Maura Kawiyahi held on 21.07.2014 in the camp organized at middle school Shankaspur has been cancelled and directed the concerned Niyojan unit to hold afresh Niyojan on 08.09.2014 and further to issue a writ of Mandamus directing the respondents to reinstate the petitioner on the post of Panchayat Sikshak as the order impugned passed by the respondent District Magistrate is illegal and without jurisdiction.

Date & Events:-

14.05.2012 -	The petitioner qualified in (BETET)- 2011.
21.05.2014 -	Hindustan paper cutting by which date of counseling of 5th phase Panchayat Block Sikshak was announced and by which for Madhepura District the date of counseling was fixed on 21.07.2014
21.07.2014 -	Counseling of Maura Kawiyahi Gram Panchayat held in the Middle School Shankarpur for selection of panchayt sikshak.
21.07.2014 -	Petitioner selected on the post of Panchayat Sikshak and for this appointment letter was issued to him by the Niyojan unit.
28.07.2014 -	Petitioner joined in primary school Kawiyahi and started to work.
31.07.2014 -	Complaint file by the respondent no.10 in Janta Darbbar of District Magistrate, madhepura.
21.08.2014 -	The District Magistrate passed imgpuned order by which entire selection made on 21.07.2014 induding the selection of petitioner on as the post of panchayt shikshak has been cancelled and new date fixed on 08.09.2014.

Hence this writ petition.